

50 Years of full statehood of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh came into existence as Chief Commissioner's Province on 15 April, 1948 exactly eight months after India's Independence as a result of the integration of 30 small and big princely Hill States. Mr. N. C. Mehta, Indian Civil Service (ICS) was appointed as the first Chief Commissioner assisted by his deputy Mr. E. Penderal Moon, ICS.

The Mahasu district was formed by merging 26 small and big princely states of Shimla Hill States. Mandi and Suket princely states were merged to form Mandi district. Chamba and Sirmaur were given the status of separate districts. 23 tehsils were formed in these four districts. Himachal Pradesh had an area of 10,451 sq. miles with population of 9,83,367. In July 1954, Bilaspur was merged with Himachal to form the fifth district of the state.

After the formation of Himachal Pradesh, other leaders including Dr. Y.S. Parmar continued their struggle with the Government of India to form a popular government in the State. Himachal Pradesh was made a part 'C' state with the provision for Vidhan Sabha. The first elections for the Vidhan Sabha in Himachal were held in 1952, in which voting was held for 36 seats. In March 1952, Dr. Parmar was sworn in as the first Chief Minister of this state and formed his Cabinet of three members. The other two ministers in his cabinet including were Pandit Gauri Prasad and Pandit Padam Dev.

In December 1953, the Government of India set up a Commission for the reorganization of States. Dr. Parmar wrote a letter to the chairman of the commission urging him to merge the hilly areas of Punjab in Himachal Pradesh but acting contrary, the commission suggested Himachal Pradesh to be merged with Punjab. This endangered the very existence of Himachal Pradesh. The people and different political parties of the state strongly opposed this suggestion and as a result, the Union of India assured to maintain its separate existence keeping in view of the geographical, cultural and economic conditions of the state. After the enactment of the 'States Reorganization Act' in 1956, the Himachal Pradesh Vidhan Sabha was abolished on 31 October, 1956 and was replaced by a Territorial Council. Thus, Himachal Pradesh became a Union Territory on 1st November, 1956.

Elections to the Territorial Council were held in 1957. On 15 August, 1957, Thakur Karam Singh was sworn in as the Chairman of the Council. The Territorial Council was only a local Self-Government and the Lt. Governor exercised all the powers of administration. However, the people of the State were not satisfied with this system. Ceding to the demand, the Lok Sabha passed the Government of Union Territories Act in 1963 and converted the Territorial Council into Himachal Pradesh Vidhan Sabha on July 1, 1963. As a result, a three-member cabinet was formed again and Dr. Y. S. Parmar became the Chief Minister for the second time.

Considering the similarity in geographical conditions, culture, social system, language, lifestyle and ethos, the people and politicians of Himachal Pradesh had been long demanding that hilly areas like Kangra, Kullu, Lahaul-Spiti, Shimla, Una, Nalagarh and Dalhousie should be included in Himachal Pradesh.

When the Government of India set up the 'Punjab States Reorganization Commission' in 1965, the Himachal Pradesh Government also sent a draft related to formation of 'Vishal Himachal' to the Union of India and the Chairman of the Punjab States Reorganization Commission, to include the hilly areas of Punjab in Himachal. Based on the recommendations of the Commission, the Government of India presented 'Punjab States Reorganization Act' in Parliament and passed it consequently. Kangra, Una, Hamirpur, Kullu, Lahaul-Spiti, Shimla, Nalagarh, Kandaghat and Dalhousie etc. were included in Himachal Pradesh on 1st November, 1966. With the inclusion of these areas, the total area of Himachal was increased to 55,673 sq. km which continues to be same today.

Attainment of Statehood

The merger of the hilly areas of Punjab with Himachal Pradesh led to the geographical, social, cultural and linguistic reunification of the people but the state was yet to get status of Statehood. In December 1970, the Parliament passed the 'State of Himachal Pradesh Act-1970'. On 25 January, 1971, the then Prime Minister of India Smt. Indira Gandhi herself visited Shimla and announced to grant the Statehood status to Himachal Pradesh making it the 18th State of India.

Thus, 25 January, a day of great happiness for the hardworking and innocent people, political leaders, freedom fighters and workers of Prajamandals of the state realized the long cherished dream come alive. The State is completing its 50 years of magnificent journey on 25th January, 2021 and Golden Jubilee Year to be celebrated to make it memorable in annals of history.

Development journey of the State

Himachal Pradesh has traversed through difficult phase for attainment of Statehood. This state, which came into existence on 15 April, 1948, started its onward development journey from scratch, and the development that Himachal Pradesh has achieved is inspiring for other hilly regions during the last 50 years. Since then, the state has witnessed all-round development making a huge leap in socio-economic transformation. Despite tough geographical conditions and limited resources, State has made significant progress in all spheres particularly in the areas of agriculture, horticulture, road network, education and health.

According to the available data of 1951-52, the total literacy rate in the state was only 4.8 percent while the female literacy rate was only 2.9 percent. 301 educational institutions were functional in the State, limited to urban areas only. There were only 88 health institutions and 288 km road length. There was lack of facilities with regard to irrigation, drinking water etc. People of villages had to walk miles to fetch water from springs and water bodies. Electricity was available only in six villages. The per capita income was only Rs. 240.

An area of 3.92 lakh hectares (1951-52) was cultivated for agricultural purpose and production of food grains were limited to 1.99 lakh metric tonne at that time. The reorganization of Punjab in the year 1966 led to some increase in agricultural land and food production due to new areas added to the state. An area of 7,76,000 hectares was under agriculture while food production was 7,04,000 metric tonne. Today, agricultural activities are being done on 9.55 lakh hectares in the state and food production has also increased to 16.36 lakh metric tonne (year 2019-20).

In 1951-52, state had an area of only 792 hectares under horticulture and the yield was only 1200 metric tonne. The area increased to 26,260 hectares in 1966-67 and fruit production reached 45,370 metric tonne. Fruit remained the most important and main cash crop of this region. At present also, horticulture is being carried out over an area of 2,32,139 hectare with the government initiating to develop Himachal Pradesh as a fruit bowl of India and providing various incentives to the horticulturists. Around 7.07 lakh metric tonne of fruit are being produced every year.

In the year 1971, when this state attained Statehood, even then the development was limited to select areas. Road length in the state was less than 7740 km. The literacy rate was only 31.3 percent. There were 482 health institutions and 4963 educational institutions. Electricity was available in 2944 villages of the state and the per capita income was only Rs. 651.

Today, Himachal stands amongst one of the most progressive and prosperous states in the country. The length of roads in the state has been increased to 38 thousand kilometers. More than 97 percent of the panchayats are connected with roads. A target has been set up to connect the remaining panchayats with roads soon. The numbers of educational institutions have increased to 15,553 and literacy rate is 82.80 percent. A large network of 4,320 health institutions in the state is providing best of the medical facilities to the people. Electricity is available in all the villages of the state today. Moreover, Himachal Pradesh has become a 'Power Surplus State' now. The per capita income has also increased to Rs. 1,95,255.

The present government has also contributed a lot for taking State to new heights and also ensured overall development of the State. State has received several National level awards for better performance in good development, health, education, sustainable development including agriculture and horticulture during this period. As a result of many new schemes and initiatives, the state is moving ahead on the path of constant progress.

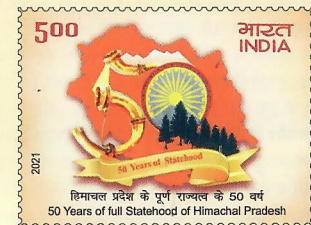
Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp on "50 Years of full statehood of Himachal Pradesh".

Credits:

Stamps/FDC/Brochure/	:	Smt. Vinita Sinha
Cancellation Cachet	:	Smt. Alka Sharma
Text	:	Based on information received from the proponent



डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS



हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष
50 Years of full Statehood of Himachal Pradesh

विवरणिका BROCHURE

हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष

हिमाचल प्रदेश देश की आजादी के पूरे आठ माह के उपरान्त 15 अप्रैल, 1948 को, 30 छोटी-बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के परिणामस्वरूप चीफ कमिश्नर प्रोविन्स के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय सिविल सेवा के श्री एन. सी. मेहता को यहां का प्रथम चीफ कमिश्नर और श्री ई. पेण्ड्रल मून, आईसीएस को डिप्टी चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया।

शिमला हिल स्टेट्स की छोटी-बड़ी 26 रियासतों को मिलाकर महासू जिला बनाया गया। मण्डी तथा सुकेत रियासतों का विलय करके मण्डी जिला बनाया गया। चम्बा व सिरमौर को अलग-अलग जिलों का दर्जा दिया गया। इन चारों जिलों में 23 तहसीलें बनाई गईं। उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 10,461 वर्ग मील और जनसंख्या 9,83,367 थी। जुलाई, 1954 में, बिलासपुर को हिमाचल में मिलाकर इसे प्रदेश का पांचवां जिला बनाया गया।

हिमाचल प्रदेश के गठन के पश्चात, डॉ. वाई. एस. परमार सहित अन्य नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए केन्द्र सरकार से अपना संघर्ष जारी रखा। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने हिमाचल को 'ग' वर्ग के राज्य का दर्जा देकर विधान सभा के गठन का प्रावधान कर दिया। हिमाचल में विधान सभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव 1952 में हुए, जिसमें 36 सीटों के लिए मतदान करवाया गया। मार्च, 1952 में डॉ. परमार ने इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और अपने तीन सदस्यीय मंत्रिमण्डल का गठन किया। इस मंत्रिमंडल में डॉ. परमार सहित दो अन्य मंत्री पंडित गौरी प्रसाद और पंडित पदम देव शामिल थे।

दिसम्बर, 1953 में भारत सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया। डॉ. परमार ने आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर उस समय पंजाब में शामिल पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय का आग्रह किया लेकिन आयोग ने इसके विपरीत कार्य करते हुए हिमाचल प्रदेश को ही पंजाब में विलय करने का सुझाव दे डाला। इससे हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इस प्रदेश के लोगों और राजनीतिक दलों ने आयोग के इस सुझाव का कड़ा विरोध किया। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने इस राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसका अलग अस्तित्व बनाए रखने का आश्वासन दिया। सन् 1956 में 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' लागू होने के बाद 31 अक्टूबर, 1956 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर यहां क्षेत्रीय परिषद (टैरिटोरियल काउंसिल) का गठन किया गया। इस प्रकार, 1 नवम्बर, 1956 को हिमाचल प्रदेश केन्द्र शासित राज्य बन गया।

सन् 1957 में क्षेत्रीय परिषद के लिए चुनाव हुए और 15 अगस्त, 1957 को ठाकुर कर्म सिंह ने परिषद के अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की। क्षेत्रीय परिषद मात्र एक स्थानीय स्वशासन था और प्रशासन के सभी अधिकार उप-राज्यपाल के पास थे। हालांकि, प्रदेश के लोग इस प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। लोगों की मांग और जिज्ञासा को देखते हुए, लोक सभा ने 1963 में 'गवर्नमेंट ऑफ यूनिन टैरिटोरियल एक्ट' पास करके 1 जुलाई, 1963 को क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में परिवर्तित कर दिया। परिणामस्वरूप यहां फिर तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ और डॉ. वाई. एस. परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने।

भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, भाषा तथा रहन-सहन की समानता और लोकाचार को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश के लोगों तथा राजनेताओं की यह मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही थी कि कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, शिमला, ऊना, नालागढ़ तथा डलहौजी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया जाए।

भारत सरकार ने 1965 में जब 'पंजाब स्टेट्स पुनर्गठन आयोग' का गठन किया, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार तथा पंजाब पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष को 'विशाल हिमाचल' संबंधी मसौदा प्रस्तुत किया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा 'पंजाब स्टेट्स पुनर्गठन एक्ट' संसद में पेश कर पारित किया गया। फलस्वरूप 1 नवम्बर, 1966 को कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, शिमला, नालागढ़, कण्डाघाट तथा डलहौजी आदि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए। इन क्षेत्रों के शामिल होने से हिमाचल का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 55,673 वर्ग कि. मी. हो गया, जोकि आज तक बरकरार है।

पूर्ण राज्य का दर्जा

पंजाब में स्थित पहाड़ी क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश में विलय से यहां के लोगों का भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषायी एकीकरण तो हो गया, परंतु इस प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना अभी शेष था। दिसम्बर, 1970 में संसद ने 'स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट-1970' पास किया। 25 जनवरी, 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं शिमला आकर हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने की घोषणा की। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश, भारत का 18वां राज्य बन गया।

25 जनवरी का वह दिन, हिमाचल के परिश्रमी व भोले-भाले लोगों, राजनेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों तथा प्रजामण्डलों के कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत प्रसन्नता का दिन था क्योंकि उस दिन उनका वर्षों का सपना साकार हुआ। 25 जनवरी, 2021 को यह प्रदेश, पूर्ण राज्य के रूप में अपनी शानदार यात्रा के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इस यात्रा को इतिहास के पन्नों में यादगार बनाने के लिए इस वर्ष को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य की विकास यात्रा

पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के अपने सफर में हिमाचल प्रदेश ने कई मुश्किल दौर देखे हैं। 15 अप्रैल, 1948 को अस्तित्व में आए इस प्रदेश ने लगभग शून्य से अपनी विकास यात्रा आरम्भ की तथा पिछले 50 वर्षों के दौरान, इस प्रदेश ने विकास की जिन ऊंचाइयों को छुआ है, वह अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। इस अवधि के दौरान इस प्रदेश में अनेक सामाजिक-आर्थिक विकास हुए हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने कृषि, बागवानी, सड़क नेटवर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रगति की है।

वर्ष 1951-52 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यहां कुल साक्षरता दर मात्र 4.8 प्रतिशत थी तथा महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 2.9 प्रतिशत थी। प्रदेश में कुल 301 शैक्षणिक संस्थान थे, जोकि शहरों क्षेत्रों तक ही सीमित थे। यहां मात्र 88 स्वास्थ्य संस्थाएं तथा 288 कि. मी. लंबी सड़कें थीं। साथ ही, सिंचाई एवं पेयजल आदि की सुविधाओं का भी अभाव था। ग्रामवासियों को मीलों दूर चरमों व बावड़ियों से पानी लाना पड़ता था। बिजली की सुविधा भी केवल 6 गांवों तक ही सीमित थी। इसके अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति आय मात्र 240 रुपए थी।

वर्ष 1951-52 में यहां 3.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की जाती थी और उस समय खाद्यान्न का उत्पादन मात्र 1.99 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात हिमाचल में नए क्षेत्र शामिल होने से कृषि योग्य भूमि तथा खाद्यान्न उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़कर 7,76,000 हेक्टेयर तथा खाद्यान्न उत्पादन 7,04,000 मीट्रिक टन हो गया। वर्तमान में, (वर्ष 2019-20 की स्थिति के अनुसार) हिमाचल प्रदेश में 9.55 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जा रही है और खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़कर 36 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

वर्ष 1951-52 में इस राज्य में मात्र 972 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती थी और फलोत्पादन केवल 1200 मीट्रिक टन था। 1966-67 में यह क्षेत्र बढ़कर 26,260 हेक्टेयर हो गया और फल उत्पादन 45,370 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। फल, इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। सरकार द्वारा इस राज्य को 'फल राज्य' के रूप में विकसित करने और बागवानों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ देने से आज यहां 2,32,139 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जा रही है तथा प्रतिवर्ष लगभग 7.07 लाख टन फलों का उत्पादन हो रहा है।

वर्ष 1971 में जब इस प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, उस समय भी विकास की रोशनी चुनिंदा जगहों तक ही सीमित थी। प्रदेश में सड़कों की लम्बाई 7740 कि. मी. से भी कम थी। साक्षरता दर भी मात्र 31.3 प्रतिशत थी। स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या 482 थी तथा कुल 4963 शिक्षण संस्थाएं थीं। प्रदेश के 2944 गांवों में बिजली उपलब्ध थी और प्रति व्यक्ति आय मात्र 651 रुपए थी।

आज हिमाचल की गिनती देश में सर्वाधिक प्रगतिशील तथा सम्यन्त राज्यों की श्रेणी में होती है। प्रदेश में सड़कों की लम्बाई बढ़कर 38 हजार कि. मी. हो गई है। 97 प्रतिशत से भी अधिक पंचायतें सड़कों से जुड़ चुकी हैं तथा शेष पंचायतों को भी शीघ्र ही सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़कर 15,553 हो गई है तथा साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत तक पहुंच गई है। प्रदेश में 4,320 स्वास्थ्य संस्थाओं का विशाल नेटवर्क लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। आज प्रदेश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश आज 'सरलस बिजली राज्य' बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 1,95,255 रुपए हो गई है।

प्रदेश की इस विकास यात्रा में, वर्तमान सरकार का विशेष योगदान रहा है। इस अल्प अवधि में प्रदेश सरकार ने विकास की नई बुलंदियां छुई हैं और प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हुआ है। इस अवधि के दौरान, हिमाचल प्रदेश को सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि-बागवानी सहित सतत विकास लक्ष्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनेक राष्ट्र-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अनेक नई योजनाओं और नवाचार प्रयासों के परिणामस्वरूप यह प्रदेश निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

डाक विभाग, 'हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष' विषय पर स्मारक डाक-टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :

डाक-टिकट / प्रथम दिवस आवरण / विवरणिका : श्रीमती विनीता सिन्हा
विरूपण केश : श्रीमती अलका शर्मा
पाठ : प्रस्तावक द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर



तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	:	500 पैसे
Denomination	:	500 p
मुद्रित डाक टिकटें	:	403825
Stamps Printed	:	403825
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philatelic Bureaux across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00